

भाग-2

(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या—FP/UP Road/157329/2022

7-परियोजना/स्कीम का नाम	जनपद-प्रयागराज के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-प्रयागराज द्वारा भड़ेवरा-झमण्डगंज मार्ग (NH-135C) के किमी 15.00 से 58.60 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में प्रभावित 0.927 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग तथा 157 वृक्षों/पौधों के पातन/हटाने की अनुमति के सम्बन्ध में।
(क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख) जिला	प्रयागराज
(ग) वन प्रभाग	प्रयागराज
(घ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०में)	0.927 हे०
(ङ) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन (RF)
(च) हरियाली का घनत्व	0.1
(छ) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बंध में एफ०ए०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	वृक्षों की सूची संलग्न है।
(ज) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवर्धनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	सामान्य
(झ) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमति दूरी	—
(ञ) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित ब्यौरा दें।	नहीं
(ट) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(ठ) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2, में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि 0.927 हे० परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य गया है (हाँ/नहीं) यदि हा तो कार्य की अवधि, दोष अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य पर ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बंध कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
क- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	संलग्न है।
ख- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।

ग- रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	—
घ- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रु0 6412977.00/- 1069388/-
ङ- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11- उप वन संरक्षक की स्थल निरक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7 (ट, ठ) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12- विभाग/जिला प्रोफाइल	वन विभाग
क- जिले का भौगोलिक क्षेत्र	548200 हे0 या 5482.00 वर्ग किमी0
ख- जिले का वन क्षेत्र	21532.6661 हे0
ग- मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	1- 193.9288 हे0 (R. F) 4 मामले 2- 316.5949 हे0 (P. F) 133 मामले
घ- 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	1021.0474 हे0
1- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—
2- वनेत्तर भूमि पर	211.0874 हे0
ङ- अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	1021.0474 हे0
1-वन भूमि पर	809.96
2- वनेत्तर भूमि पर	211.0874
13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

स्थान-प्रयागराज

(सहायक कोजलगी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज